दिनांक 12.02.

23/1/2020

12 02/20 पत्रावली प्रस्तुत। स्टेट पैरोकार एवं नायब तहसीलदार कार्यालय हाजा उपस्थित। मुताबिक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 (1) अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का 4 एल एम एवं नजरी नक्शा हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि चक 2 एल एम बी के मु.नं. 267/472 के कि.नं. 1/0.178, 2/0.203, 3/0.202, 4/0.202, 5/0.202 कुल 0.987 है. कमाण्ड रकबा जो कि अप्रार्थीगण संख्या 2 के नाम से गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं मु.न. 267/472 के कि.न. 6 ता 9/1.012, 10/0.228, 11/0.228, 12 ता 15/1.012 कुल 2.480 है. कमांड रकबा अप्रार्थी सं. 3 के नाम से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, परन्तु आवंटीगण अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के द्वारा उक्त भूमि का उपयोग कभी भी कृषि कार्य हेतु नहीं किया गया है एवं उक्त भूमि पर भूमिहीन लोगों द्वारा आवासीय मकान बनाकर आबादी के रूप में कई वर्षों से निवास किया जा रहा है। अतः उक्त कृषि भूमि का उपयोग आबादी भूमि में होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 (1) का बनता है, फलतः अप्रार्थीगण की उक्त आवंटित भूमि को खारिज किया जाकर रकबा राज घोषित किया जावे ताकि राजकीय भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित की जाकर उसमें बसे

Scanned by CamScanner

परिवारों को राजकीय योजना का लाभ दिलवाया जा सके।

वादपत्र के अभिवचनों, संलग्न पटवारी रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया एवं राजपैरोकार नायब तहसीलदार कार्यालय हाजा की बहस पर मनन किया। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं भी मौका निरीक्षण में अभिवचन वादपत्र को सत्य पाया गया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्रवाई/जबाब बन्द करने की कार्यवाही की जा चुकी है, अतः अप्रार्थीगण को सुने जाने के स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

न्यायालय की राय में कृषि भूमि पर आबादी बसने का प्रत्यक्ष आशय यही है कि संबंधित अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर कब्जा सुरक्षित रखने में असफल रहे एवं कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ होने दिया जो कि न केवल कृषि भूमि के लिए क्षतिप्रद कार्य है बल्कि शर्तों का उल्लंघन भी है। अतः अप्रार्थीगण का उक्त कार्य उनको धारा 177, रा.का.अ. के तहत उनको उनकी जमीन से बेदखली के लिए उत्तरदायी ठहराता है बल्कि रा.का.अ. की धारा 63(iv) के उल्लंघन के तहत आने के कारण न्यायालय को उनकी काश्त को /काश्तकारी अधिकार को समाप्त करने हेतु सक्षम भी बनाता है। निष्कर्षतः न्यायालय का मत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

—! आदेश :—

उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण 1 ता 3 के नाम से चक 2 एल.एम.बी के मु.नं. 267/472 के किला नं. 1 ता 15 की दर्ज कृषि भूमि के आवंटन को

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी तामिल कर नम्बर/दिनांक

खारिज कर उक्त भूमि को रकबा राज घोषित किया जाता है। तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज चक 2 एल.एम.बी के मु.न. 267/472 के किला नम्बर 1 ता 15 की कृषि भूमि को (कि.नं. 1,10,11 में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते को छोड़कर) राजस्व रिकॉर्ड में रकबाराज दर्ज करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील तंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

12/02/2020

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.02.12 15:36:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: